न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/593

बशीर मोहम्मद आत्मज गफूर खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, दबलाना जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 08.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2018, विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार, दबलाना जिला – बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम गोठडा की आराजी खसरा नं. 3571, 3598 रकबा 2.18 बीघा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 90 दिवस (तीन माह) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 22.03.2016 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.03.2018 के द्वारा अपील खारिज कर दी।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । खसरा नम्बर 3571 रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा भूमि अपीलान्ट व उसके भाई बादुल्ला रोशन पि0 गफूर खॉ को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी और आवंटन से उक्त भूमि पर अपीलान्ट व उसके भाईयों को कब्जा संभलाया गया था तब से अपीलान्ट व उसके भाई उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया हैं वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अभिभाषक नियुक्त किया था । उनके अभिभाषक ने अपीलान्ट को प्रत्येक तारीख पेशी पर आने के लिए मना कर दिया और आवश्यकता होने पर सूचित करने का आवश्वासन दिया परन्तु उनके अभिभाषक द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई । नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी कर दिनांक 12.10.2018 को उपस्थित होने हेतु सूचित किया तब अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट व उसके भाई को दिनांक 14.10.1977 को आवंटित हुई थी और आवंटन के बाद से ही वे उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । आवंटन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का दायित्व राजस्व कर्मचारियों का है । उक्त आवंटित भूमि में से 08 बीघा भूमि को अपीलान्ट व अपीलान्ट के भाईयों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया और शेष 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट व उसके भाईयों का आवंटन से कब्जा होते हुए राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक ही दर्ज कर रखा है । उक्त भूमि को सिवायचक मानकर अपीलान्ट को उक्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए व पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने भारी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब

के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्ट द्वारा जुर्माना/तावान राशि आदि जमा करा दी है । अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि उक्त भूमि अपीलान्ट व उसके भाईयों को नियामानुसार सन् 1977 में आवंटित हुई है तब से ही उनका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । आराजी में से 08 बीघा उनकी गैर खातेदारी में व शेष सिवायचक दर्ज कर दी थी । उन्होंने एक आवंटन आदेश की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 3571 की 13 बीघा 08 बिस्वा उनको दिनांक 14.10.1977 को आवंटित की गई है । उनकी गैर खातेदारी में 4205/3571 की 08 बीघा आराजी गई है । वादग्रस्त आराजी सिवायचक है, जिस पर उन्हें अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि उनको आवंटित आराजी से कम आराजी उनके गैर खातेदारी में दर्ज की गई है तो वे आवंटन अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं, परन्तु इस आधार पर सिवायचक आराजी पर उनके अतिक्रमण को वैध नहीं ठहराया जा सकता ।

10. विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का के बयान दिनांक 22.03.2016 का अवलोकन करने पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलान्ट ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ है जिससे उसे पूर्व में भी बेदखल किया गया था इस प्रकार अपीलान्ट उक्त भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है ।

11. अपीलान्ट उक्त भूमि को स्वयं के नाम व अपने भाईयों के नाम आवंटित होना बताते हैं । इस सम्बन्ध में हमारा मत है कि यदि अपीलान्ट को उक्त भूमि का आवंटन हुआ है तो वे आवंटन अधिकारी के समक्ष उक्त भूमि को गैरखातेदारी अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । इस अपील में आवंटन के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2018 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट आवंटन के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु आवंटन अधिकारी के सक्षम कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

13. निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा